न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी /सीलिंग/820/2003/हनुमानगढ़

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

.....प्रार्थी

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति विश्नोई निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. विनोद कुमार (मृतक) पुत्र श्री साहबराम के कायम मुकाम
   2/1. सरला पत्नी श्री विनोद कुमार
   2/2. प्रियंका पुत्री श्री विनोद कुमार
   2/3. प्रेरणा पुत्री श्री विनोद कुमार
   2/4. धनन्जय पुत्र नाबालिग
3. बीरमा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री साहबराम जाति विश्नोई
4. शारदा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री सन्दीप कुमार जाति विश्नोई
5. सत्यम पुत्र श्री संदीप कुमार) जाति विश्नोई नाबालिग जरिये
6. रिम्पल पुत्री श्री संदीप कुमार) कुदरती वलिया माता शारदा देवी
7. रोमा पुत्री श्री सन्दीप कुमार) पत्नी स्वर्गीय श्री संदीप कुमार समस्त निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
8. बेगाराम पुत्र श्री सेवाराम
9. लालचन्द पुत्र श्री गणपत
10. कृष्णा देवी पत्नी श्री लालचन्द जाति मेघवाल
11. हंसराज पुत्र श्री पुरखाराम
12. कमला पत्नी श्री हंसराज जाति गुसाई
13. गौरा देवी पत्नी श्री अर्जन राम
14. चिड़िया देवी पत्नी श्री ईसर राम
15. लीलूराम पुत्र श्री जैसा राम
16. कलावती पत्नी श्री लीलूराम जाति मेघवाल
17. मुंशीराम पुत्र श्री मामराज
18. कृष्णा देवी पत्नी श्री मुंशीराम जाति कुम्हार
19. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जन सिह
20. तेज कंार पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह जाति मजहबी
21. सरस्वती पत्नी श्री पुरखाराम जाति गुसाई

निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

.....अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित :
श्री पुष्पेन्द्र सिंह : उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई : अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4
श्री ओ. पी. मोदी : अधिवक्ता अप्रार्थीगण

——

निर्णय

दिनांकः 9/3/2018

यह निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 28/2002 में पारित निर्णय दिनांक 16/12/2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी याचिका अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण प्रदीप कुमार वगैरह के पिता/पति स्वर्गीय साहबराम के विरूद्ध सीलिंग अधिनियम के तहत कार्यवाही चली थी जिसमें प्राधिकृत अधिकारी उप खण्ड अधिकारी (सीलिंग), हनुमानगढ़ के प्रकरण संख्या 25/1975 में दिनांक 17/11/1975 को उनके पास 46.16 बीघा भूमि सीलिंग से अधिक होने से अधिग्रहण किये जाने का निर्णय पारित किया गया। इसकी अपील जिला कलेक्टर, गंगानगर न्यायालय में की गई, जो दिनांक 11/3/1976 को खारिज की गई। जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 17/10/1979 को स्वीकार की जाकर पत्रावली जिला कलेक्टर, गंगानगर को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई। जिला कलेक्टर, गंगानगर द्वारा दिनांक 10/2/1981 को 110.10 बीघा भूमि को सीलिंग से अधिक घोषित की गई। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत करने पर माननीय मण्डल ने दिनांक 11/5/1989 को जिला कलेक्टर के आदेश को अपास्त कर उप खण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 17/11/1975 को बहाल कर दिया और यह कहा कि 46.16 बीघा भूमि अधिग्रहित की जावें। साथ ही यह भी अंकित किया कि जिला कलेक्टर, गंगानगर ने दिनांक 10/2/1981 की पालना में 110. 10 बीघा भूमि का साहबराम से ओपसन लेकर राजकीय भूमि दर्ज कर दी तो दिनांक 10/2/1981 की पालना में अधिग्रहित भूमि उसको दी जाकर उसके नाम दर्ज की जावें। उक्त प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी, टिब्बी ने उभय पक्ष की बहस सुनकर अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. को दिनांक 21/8/2002 को खारिज कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा इसकी अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे दिनांक 16/12/2002 को स्वीकार कर लिया और दिनांक 25/2/1981 के ओपसन के तहत अधिग्रहित भूमि 110.10

बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से यह निगरानी मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहरात हुये अभिकथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी साहबराम द्वारा उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 17/11/1975 की पालना में 46.16 बीघा भूमि का ही ओपसन दिया गया था और इस ओपसन की पालना में दिनांक 2/11/1980 को 48 बीघा भूमि कब्जेराज ली गई थी। अतः राजस्व अपील प्राधिकारी ने बिना विस्तृत जांच किये जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी पिता/पति साहबराम के द्वारा दिनांक 1/12/1975 के अतिरिक्त कोई ओपसन प्रस्तुत नहीं किया गया था, जो भी भूमि शेष बची वह अनुसूचित जाति व बी.पी.एल. में चयनित परिवारों व भूमिहीन व्यक्तियों को दिनांक 25/6/2002 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में आवंटित कर दी गई थी। अतः यह भूमि रेस्टीट्युशन के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में दर्ज नहीं की जा सकती है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जब एक दफा भूमिधारी द्वारा ओपसन दे दिया गया एवं राज्य सरकार द्वारा उसे स्वीकार भी कर लिया गया तो उसे दुबारा विकल्प/ओपसन का अवसर नहीं दिया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि यह प्रकरण नये सीलिंग अधिनियम, 1973 के तहत था और उप खण्ड अधिकारी के द्वारा रेस्टीट्युशन पर पारित आदेश की अपील धारा 23(1) के तहत जिला कलेक्टर न्यायालय में पेश की जानी चाहिये। लेकिन उन्होंने अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जो मेन्टेनेबल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य थी। उसके बावजूद विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार कर आलोच्य निर्णय पारित किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। अतः प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 16/12/2002 को अपास्त किया जावें एवं उप खण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/8/2002 को पुष्ट किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग),

हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 25/1975 दर्ज कर दिनांक 17/11/1975 घोषणाकर्ता की 46.16 बीघा भूमि अधिशेष घोषित कर के अवाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया था। इसकी अपील हमारे द्वारा जिला कलेक्टर, गंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 11/3/1976 को खारिज कर दी गई। इसके विरूद्ध हमारे द्वारा मण्डल में अपील दायर की गई, जो मण्डल द्वारा दिनांक 17/10/1979 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला कलेक्टर, गंगानगर को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित प्रकरण में जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 10/2/1981 से साहबराम की 110.10 बीघा भूमि अधिशेष घोषित कर दी और पूर्व में अवाप्त 46.16 बीघा भूमि के अलावा शेष भूमि और अवाप्त करने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी पालना में घोषणाकर्ता से 64 बीघा का ओपसन लेकर भूमि रकबा राज कर दी। जिला कलेक्टर, गंगानगर के आदेश दिनांक 10/2/1981 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई, जिसे माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 11/5/1989 को स्वीकार करते हुए जिला कलेक्टर, गंगानगर के निर्णय दिनांक 10/2/1981 को निरस्त कर दिया और प्रार्थी से केवल 46.16 बीघा भूमि ही अधिशेष मानी, यह निर्णय अंतिम था। क्योंकि इसकी कोई अपील माननीय उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा दायर नहीं की गई। माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय की पालना में 64 बीघा भूमि और अधिशेष मानकर रकबा राज की गई थी, उसे प्रार्थीगण/वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सी.पी.सी. उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21/8/2002 द्वारा निरस्त कर दिया। उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के उक्त आदेश की अपील वर्तमान अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ में प्रस्तुत की गई, जिन्होंने अपील को स्वीकार कर अप्रार्थीगण से अवाप्त की गई सम्पूर्ण भूमि पुनः अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के नाम दर्ज करने का आलोच्य निर्णय पारित कर पुनः अप्रार्थीगण से केवल 46.16 बीघा भूमि ओपसन में देने का आदेश पारित कर दिया। उनका तर्क है कि अप्रार्थीगण माननीय मण्डल के आदेश दिनांक 11/5/1989 की पालना में तथा प्राधिकृत अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) ,हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17/11/1975 की पालना में 46.16 बीघा भूमि अवाप्त कर रकबा राज की गई व तत्पश्चात अन्य को आवंटित कर दी गई, उसे अप्रार्थीगण नहीं लेना चाहते है। अतः निवेदन किया गया कि इस हद तक राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 16/12/2002 को निरस्त करवाना चाहते है। लेकिन शेष 64 बीघा भूमि जो जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 10/2/1981 की पालना में ले ली गई थी, जिसका ओपसन भिजवाया गया था, वह आज भी अप्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही है और इस भूमि को अप्रार्थीगण के नाम रेस्टोर किया जाना आवश्यक है। अतः निवेदन है कि 64 बीघा भूमि पुनः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि प्राधिकृत अधिकारी/उप खण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17/11/1975 की पालना में 46.16 बीघा भूमि अवाप्त कर रकबा राज कर दी गई थी एवं तत्पश्चात हम लोगों को आवंटित कर दी थी इसलिये इसे अप्रार्थीगण भी लेना नहीं चाहते है तो इस हद तक राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्तनीय है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ द्वारा अपील संख्या 8/1981 साहबराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 11/5/1989 में स्पष्ट रूप से यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि :–

> **As a result, the appeal is partly accepted and the impugned order of the learned Collector, Ganganagar passed on 10-02-81 is modified to the extent that oly 46 bighas 16 biswas of land as declared by the Authorised Officer (S.D.O.), Hanumangarh in his order dated 17-11-75 be acquired.**

माननीय मण्डल की एकल पीठ द्वारा पारित उक्त निर्णय की अपील प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है और यह निर्णय अंतिम है।

धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है, जो निम्न प्रकार हैः–

> **Rajasthan Tenancy Act, 1955:**
> **230. Power of the Board to call for cases.-** The Board may call for the record of any case decided by any subordinate court in which no appeal lies either to the Board or to a civil court under section 239 and if such court appears-
> (a) to have exercised jurisdiction not vested in it by law; or
> (b) to have failed to exercise jurisdiction so vested; or
> (c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity,
>
> the Board may pass such orders in the case as it thinks fit.

इस प्रकार मण्डल द्वारा उक्त धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के माध्यम से आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप उस स्थिति में ही किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वाराः–

(अ) उसमें निहित नहीं किये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया गया हो, अथवा
(ब) निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया गया हो, अथवा
(स) क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय गंभीर अनिमितता की गयी हो।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने निगरानी याचिका में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जो कि उपरोक्तानुसार निहित नहीं किये गये क्षेत्राधिकार के उपयोग, अथवा निहित किये गये क्षेत्राधिकार के गलत उपयोग अथवा गंभीर अनियमितता के साथ क्षेत्राधिकार के उपयोग की श्रेणी में आता हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 28/2008 (प्रदीप कुमार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार) अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अपने निर्णय दिनांक 16/12/2002 द्वारा स्वीकार करते हुए उप खण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/8/2002 को अपास्त किया जाकर कुल 110.10 बीघा रकबा राज भूमि को अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, हमारी सम्मति में त्रुटिपूर्ण होने से उसमें संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उप खण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21/8/2002 को अपास्त कर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 16/12/2002 में इस हद तक संशोधित किया जाता है कि माननीय मण्डल की एकल पीठ द्वारा अपील संख्या 8/1981 में पारित निर्णय दिनांक 11/5/1989 के अनुसार अप्रार्थीगण की कुल 46.16 बीघा भूमि, जो पूर्व में अधिग्रहित कर अन्य को आवंटित कर दी गई, उसके अतिरिक्त 110.10 बीघा में शेष बची 64 बीघा भूमि पुनः अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य